छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा   दशम् सत्र   अंक-4

नवा रायपुर अटल नगर, गुरूवार, दिनांक 16 जुलाई, 2026

(आषाढ़ 25, शक संवत् 1948)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 (कुल 08) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 71 तारांकित एवं 91 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

फर्जी ग्राम सभा प्रस्तावों के आधार पर उद्योग स्थापना एवं दोषियों कार्रवाई संबंधी तारांकित प्रश्न संख्या-04 पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष (डॉ.चरणदास महंत) के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री केदार कश्यप, संसदीय कार्य मंत्री ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 25 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2025,

(2) श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, समाज कल्याण मंत्री ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) की धारा 83 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार राज्य आयुक्त दिव्यांगजन छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2025-2026, तथा

(3) श्री दयालदास बघेल, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 19 एवं 30 के अंतर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ 10-64/2009/खाद्य/29-2, दिनांक 1 सितम्बर, 2016 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आंतरिक शिकायत निवारण) नियम, 2016 के नियम 9 के उपनियम (छ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2025-26,

पटल पर रखे ।

4. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि- आज भोजन अवकाश नहीं होगा। आज भोजन की व्यवस्था वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री लखनलाल देवांगन) की ओर से माननीय सदस्यों के लिये लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर पत्रकार कक्ष के समीप भोजन कक्ष में की गयी है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

5. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से घोषणा की कि- आज की कार्य-सूची में 63 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक-22 (6) के तहत् शामिल किया गया है। इनमें से क्रमश: प्रथम दो ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

(1) श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य ने विधान सभा क्षेत्र मुंगेली में प्रधानमंत्री सड़क योजना/ मुख्यमंत्री सड़क योजना से निर्मित सड़कें जर्जर होने की ओर उप मुख्यमंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास) का ध्यान आकर्षित किया।

श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास) ने इस पर वक्तव्य दिया।

(सभापति महोदया (सुश्री लता उसेण्डी) पीठासीन हुईं।)

(2) श्री विक्रम मण्डावी, सदस्य ने बस्तर संभाग में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में अनियमितता किये जाने की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, महिला एवं बाल विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. बहिर्गमन

बस्तर संभाग में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में अनियमितता संबंधी ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा के दौरान शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर श्री विक्रम मण्डावी, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया।

7. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

माननीय सभापति की घोषणानुसार कार्यसूची के पद 3 के उप पद (03) से (63) तक सूचना देने वाले सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने गये।

8. सदन को सूचना

माननीय सभापति ने सदन की सहमति से घोषणा की कि चूंकि कल दिनांक 17 जुलाई, 2026 को प्रश्नकाल के पश्चात् अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है, अत: नियम 138 (1) के अधीन ली जाने वाली ध्यानाकर्षण की सूचनाएं कार्य सूची में नहीं ली जाएंगी।

9. नियम 267-क के अन्तर्गत विषय

माननीय सभापति ने घोषणा कि की नियम 267 "क" (2) को शिथिल कर आज मैंने सदन में 110 सूचनाएं लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है। उक्त सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा तथा सूचना देने वाले सदस्यों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किये जायेगें।

1. श्री रोहित साहू (7 सूचनाएं)
2. श्री अजय चंद्राकर (6 सूचनाएं)
3. श्री मोतीलाल साहू
4. श्री राजेश मूणत
5. श्री बघेल लखेश्वर (7 सूचनाएं)
6. श्री उमेश पटेल (2 सूचनाएं)
7. श्रीमती अंबिका मरकाम
8. श्री ब्यास कश्यप (3 सूचनाएं)
9. श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते (4 सूचनाएं)
10. श्री भोलाराम साहू (7 सूचनाएं)
11. श्री सुनील कुमार सोनी (3 सूचनाएं)
12. श्री देवेन्द्र यादव (2 सूचनाएं)
13. श्री द्वारिकाधीश यादव (2 सूचनाएं)
14. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह
15. श्री दलेश्वर साहू (3 सूचनाएं)
16. श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा (3 सूचनाएं)
17. श्रीमती शेषराज हरवंश (2 सूचनांए)
18. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल (4 सूचनाएं)
19. श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी (4 सूचनाएं)
20. श्री धर्मजीत सिंह (2 सूचनाएं)
21. श्री जनक ध्रुव (2 सूचनाएं)
22. श्रीमती उत्तरी गनपत जांगडे (8 सूचनाएं)
23. श्री चैतराम अटामी
24. श्रीमती कविता प्राण लहरे (2 सूचनाएं)

25. श्री इन्द्रशाह मंडावी (2 सूचनाएं)
26. श्री संदीप साहू (2 सूचनाएं)
27. श्री कुंवर सिंह निषाद (3 सूचनाएं)
28. श्रीमती गोमती साय
29. श्री दिलीप लहरिया (4 सूचनाएं)
30. श्रीमती भावना बोहरा (2 सूचनाएं)
31. श्री विक्रम मंडावी (2 सूचनाएं)
32. श्री ओंकार साहू (6 सूचनाएं)
33. श्रीमती चातुरी नंद (3 सूचनाएं)
34. श्रीमती विद्यावती सिदार
35. श्री कवासी लखमा
36. श्री अटल श्रीवास्तव (4 सूचनाएं)
37. श्री सुशांत शुक्ला
38. श्री रामकुमार टोप्पो
39. श्री आशाराम नेताम (3 सूचनाएं)
40. श्री बालेश्वर साहू

10. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की याचिकाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

1. श्री अनुज शर्मा
2. श्री धरमलाल कौशिक
3. श्री भूलन सिंह मराबी
4. श्री दलेश्वर साहू
5. श्री भोलाराम साहू
6. श्री पुन्नूलाल मोहले
7. श्रीमती अनिला भेंड़िया
8. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 13, सन् 2026)

श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (गृह) ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 13, सन् 2026) पर विचार किया जाये।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रामकुमार टोप्पो, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

श्री भूलन सिंह मराबी, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (गृह) ने चर्चा का उत्तर दिया।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (गृह) ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 13, सन् 2026) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(2) छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 14, सन् 2026)

श्री लखनलाल देवांगन, वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 14, सन् 2026) पर विचार किया जाये।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

श्री ब्यास कश्यप, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

श्री लखनलाल देवांगन, वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खण्ड 2 से 8 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री लखनलाल देवांगन, वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 14, सन् 2026) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(3) छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026 (क्रमांक 15, सन् 2026)

श्री लखनलाल देवांगन, वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026 (क्रमांक 15, सन् 2026) पर विचार किया जाये।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की एवं चर्चा के दौरान विभागीय मंत्री से अनुरोध किया कि प्रस्तुत मूल विधेयक में प्रयुक्त शब्द "संयोजक" के स्थान पर शब्द "सचिव" प्रतिस्थापित किया जाए।

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री दलेश्वर साहू, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया।

श्री लखनलाल देवांगन, वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने चर्चा का उत्तर देते हुए विधेयक में आंशिक संशोधन किये जाने हेतु सहमति प्रदान करते हुए अनुरोध किया कि माननीय सदस्य की भावना के अनुरूप शब्द "संयोजक" के स्थान पर "सचिव" प्रतिस्थापित किया जाए।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खण्ड 2 से 24 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री लखनलाल देवांगन, वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक, 2026 (क्रमांक 15, सन् 2026) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

यथासंशोधित विधेयक पारित हुआ।

12. नियम 52 के अधीन आधे घंटे की चर्चा

दिनांक 16 दिसम्बर, 2025 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित खाद्य, मंत्री से पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या-03 (क्रमांक-239) के उत्तर से उदभूत विषय पर नियम-52 के अधीन आधे घंटे की चर्चा के प्रस्तुतकर्ता सदस्य श्री सुशांत शुक्ला ने चर्चा प्रारंभ की एवं प्रकरण की जांच की मांग की।

माननीय अध्यक्ष ने माननीय सदस्य को प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जांच हेतु विभागीय मंत्री को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया।

श्री दयालदास बघेल, खाद्य, मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया एवं जांच कराये जाने की सहमति दी।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

13.अशासकीय संकल्प

(1) यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि **"प्रदेश में बढ़ते प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध और निष्पादन हेतु सख्त नियम बनाये जायें।"**

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

गुरूवार, 16 जुलाई, 2026

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री उमेश पटेल, रिकेश सेन, श्रीमती भावना बोहरा, श्री रामकुमार यादव।

श्री ओ.पी.चौधरी, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया एवं माननीय सदस्य से संकल्प वापस लेने का अनुरोध किया ।

माननीय सदस्य द्वारा संकल्प को वापस लेने की सहमति व्यक्त की गई।

संकल्प वापस हुआ।

(2) सदन का यह मत है कि "**छत्तीसगढ़ राज्य में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाये।**"

श्री सुशांत शुक्ला, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री ब्यास कश्यप, श्रीमती भावना बोहरा, सर्वश्री धर्मजीत सिंह, उमेश पटेल, अटल श्रीवास्तव, रामकुमार यादव, श्रीमती शकुन्तला सिंह पोर्ते, सर्वश्री प्रबोध मिंज, पुन्नूलाल मोहले.

श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री (लोक निर्माण) ने चर्चा का उत्तर दिया एवं माननीय सदस्य से संकल्प वापस लेने का अनुरोध किया।

माननीय सदस्य द्वारा संकल्प वापस लेने हेतु सहमति व्यक्त की गई।

संकल्प वापस हुआ।

अपराह्न 3.49 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 17 जुलाई, 2026 (आषाढ़ 26, शक संवत् 1948) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा